पत्रावली आज दिनांक 29/8/22 को
वकील प्रार्थी- आवेदक/वादी- प्रतिवादी उपस्थित
पत्रावली आरडी/वादी/प्रतिवादी/प्रा.ज
ओपन रिपोर्ट/लिपिक कुमार कार्यवाही
हेतु दिनांक 6/10/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 6/10/22 को पक्ष
अभिभाषक संघ द्वारा आज कलम
बहिष्कार/कार्य अंकित किये जाने के
न्यायिक कार्यवाही नहीं की
के कारण/कारणवश
15/11/22 को पेश हों।

पत्रावली आज दिनांक 15/11/22 को पेश हुई
वकील प्रार्थी- आवेदक/वादी- प्रतिवादी उपस्थित हुए।
पत्रावली आरडी/वादी/प्रतिवादी/प्रा.जवाब/
ओपन रिपोर्ट/लिपिक कुमार कार्यवाही
हेतु दिनांक 31/12/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

03/01/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप।
कामिल्य तहसीलदार (मु०मु०) तहसील
लालगांव के पत्र क्रमांक 1/मु०मु०/20/1780
प्राप्त होकर कलम पत्रावली है। जिसमें
बताया गया है कि वादी व प्रतिवादी
के मध्य समझौता हो गया है तथा
वे दस्तावेज वापस करवाना चाहते हैं।
पत्र मोका मुआयना वादी व प्रतिवादी
के हस्ताक्षर सहित प्राप्त होकर कलम
है। जब वादी व प्रतिवादी उपरोक्त
नकी करवाना चाहते हैं तो वाद को
चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है। वादी का वाद खारिज

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय
लालगांव

वकाती खां बनाम दीवान व अन्य

वा.वि.— 92/2015

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

जो. ई. एन. 12

सरकार

कार्यालय टिप्पणी

पेश हुआ है। पत्रावली की नकल से
कम होकर दाखिल दफ्तर होनिर्णय
आज दिनांक 03/01/23 को सर इजलास
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner